

जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (बीएमडब्ल्यू) प्रबंधन हेतु मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी)।

**1. उद्देश्य:** यह मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) टीएचडीसीआईएल में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (बीएमडब्ल्यू) प्रबंधन हेतु जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुपालन में एक व्यावहारिक ढांचा स्थापित करने के लिए तैयार की गई है। इसमें टीएचडीसीआईएल परियोजनाओं/इकाइयों में उत्पन्न बीएमडब्ल्यू के संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन, उपचार और निपटान के लिए उत्तरदायित्वों और प्रक्रियाओं को रेखांकित किया गया है।

**2. विषय क्षेत्र:** यह एसओपी टीएचडीसीआईएल की समस्त परियोजनाओं /इकाइयों/ कार्यालयों पर व्यापक रूप से लागू होगी।

**3. प्रमुख नियोक्ता के कर्तव्य(टीएचडीसीआईएल):** प्रमुख नियोक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि जिसे बीएमडब्ल्यू का उत्पादन करने वाले संस्थानों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है।

- 3.1. परिसर के अंदर रंगीन बैगो या कंटेनरों में बीएमडब्ल्यू को अलग करने के लिए बुनियादी ढांचा।
- 3.2. क्लोरीनयुक्त प्लास्टिक सहायक उपकरणों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना और बीएमडब्ल्यू कंटेनरों के लिए बार-कोड प्रणाली लागू करना।
- 3.3. स्रोत पर तरल रासायनिक अपशिष्ट का पृथक्करण और पूर्व-उपचार या निराकरण करना।
- 3.4. प्रासंगिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत बीएमडब्ल्यू के अलावा अन्य ठोस कचरे का उचित निपटान करना।

- 3.5. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और टीकाकरण सहित स्वास्थ्य कर्मियों के लिए व्यावसायिक राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- 3.6. मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने से बचने के लिए सावधानी बरतना।
- 3.7. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को बीएमडब्ल्यू संचालन से संबंधित प्रमुख दुर्घटनाओं की रिपोर्ट करना।

#### 4. प्राधिकार के लिए प्रक्रिया:

- 4.1. प्रत्येक प्रमुख नियोक्ता को फॉर्म-II में आवेदन करके राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) से प्राधिकार प्राप्त करना होगा।
- 4.2. यदि एसपीसीबी द्वारा 90 दिनों के भीतर आपत्ति नहीं जताई जाती है तो प्राधिकार वैध माना जाता है।
- 4.3. आवेदक को सुनवाई का अवसर देते हुए इनकार को लिखित रूप में उचित ठहराया जाना होगा।

#### 5. उपचार और निपटान:

- 5.1. बीएमडब्ल्यू का उपचार और निपटान अनुसूची-I का पालन करते हुए और अनुसूची-II में दिए गए मानकों का अनुपालन करते हुए किया जाएगा।
- 5.2. अलग किए गए कचरे यदि 75 किमी के भीतर उपलब्ध हो तो कचरे को सीबीएमडब्ल्यूटीएफ को सौंप दिया जायेगा, अन्यथा प्राधिकरण के अनुसार बीएमडब्ल्यू उपचार उपकरण स्थापित किया जायेगा।

- 5.3. पूर्व-उपचारित या उपचारित बीएमडब्ल्यू से पुनर्चक्रण योग्य वस्तुएं, जैसे प्लास्टिक और ग्लास, को पंजीकृत/अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं के माध्यम से पुनर्चक्रित किया जाएगा।

## 6. पृथक्करण, पैकेजिंग, परिवहन और भंडारण

6.1 बीएमडब्ल्यू का पृथक्करण उत्पादन स्थल पर अनुसूची-IV के अनुसार लेबल किए गए कंटेनरों या बैगों में किया जायेगा।

6.2. बीएमडब्ल्यू के परिवहन पर नज़र रखने के लिए बार कोड और जीपीएस का उपयोग किया जायेगा।

6.3. माइक्रोबायोलॉजी अपशिष्ट और नैदानिक प्रयोगशाला अपशिष्ट को पैकिंग और सीबीएमडब्ल्यूटीएफ में भेजने से पहले पूर्व-उपचार किया जाएगा

## 7. अभिलेखों का रखरखाव, दस्तावेज़ीकरण और वार्षिक रिपोर्ट:

7.1. बीएमडब्ल्यू उत्पादन के संग्रहण, भंडारण, परिवहन, उपचार, निपटान और हैंडलिंग से संबंधित रिकॉर्ड बनाए रखेगा।

7.2 एसपीसीबी को एक वार्षिक रिपोर्ट जमा करना और इसे कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड करना।

7.3. बीएमडब्ल्यू संचालन से संबंधित प्रमुख दुर्घटनाओं की रिपोर्ट एसपीसीबी को देकर और उन्हें वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करेगा।

8. समीक्षा और संशोधन: इस एसओपी की वार्षिक समीक्षा की जाएगी या अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और विनियमों में किसी भी बदलाव के अनुरूप आवश्यकतानुसार की

जाएगी। प्रभावी बीएमडब्ल्यू प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए टीएचडीसीआईएल की सभी इकाइयों को इस एसओपी का अनुपालन करना होगा।

**9. निरंतर सुधार:** टीएचडीसीआईएल अपने बायो-मैडिकल अपशिष्ट प्रबंधन के पर्यावरणीय प्रभाव का गोपनीय रूप से आकलन और सुधार करेगी एवं स्थिरता को बढ़ावा देगी।

10. परिशिष्ट:

चरण	जिम्मेदारी	संबंधित विभाग	नियोजित तिथि
01	परियोजना स्थल पर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक अनुस्मारक पत्र भेजना।	कॉर्पोरेट पर्यावरण विभाग टीएचडीसीआईएल-नोडल विभाग	रिपोर्टिंग तिमाही के बाद वाले माह का आने वाला कार्य दिवस।
02	चिकित्सा विभाग/मानव संसाधन एवं प्रशासन/सेवाएं/किसी अन्य प्रासंगिक विभाग (जैसा लागू हो) के परामर्श से जानकारी एकत्र करना।	पर्यावरण विभाग परियोजना-नोडल विभाग	7 दिनों के भीतर
03	परियोजना स्थल पर संबंधित विभागों से जानकारी एकत्र करना और तिमाही रिपोर्टिंग के बाद वाले महीने की 7 तारीख से पहले परियोजना नोडल विभाग को अपशिष्ट डेटा प्रदान करना।	चिकित्सा विभाग	

04	कॉर्पोरेट नोडल विभाग को एक्सेल शीट में अपशिष्ट डेटा उपलब्ध कराना।	पर्यावरण विभाग: परियोजना-नोडल विभाग	तिमाही रिपोर्टिंग के बाद वाले महीने की 15वीं तारीख को/उससे पहले।
05	संबंधित परियोजना नोडल अधिकारियों से प्राप्त आंकड़ों को एकत्रित करना और उनका विश्लेषण करना, तिमाही आधार पर आंकड़ों का प्रबंधन करना तथा संबंधित प्राधिकारी के अपशिष्ट संबंधी आंकड़ों का मूल्यांकन करना।	कॉर्पोरेट पर्यावरण विभाग टीएचडीसीआईएल- नोडल विभाग	त्रैमासिक/वार्षिक (वित्त वर्ष) आधार पर